न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 46/2019

उनवान

कजोड़मल पुत्र गोविन्दराम गुर्जर नि0 ढाणी बिशनसागर वार्ड 25 शाहपुरा तह0 शाहपुरा।

वादी

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र स्व0 सुण्डिया
2. कालूराम पुत्र स्व0 सुण्डिया
3. रामनारायण पुत्र स्व0 सुण्डिया
4. रामसहाय पुत्र स्व0 सुण्डिया
5. मदनलाल पुत्र स्व0 मल्लाराम
6. परमानन्द पुत्र स्व0 सीताराम
7. कमली पत्नी सीताराम
8. रोशन पुत्री सीताराम
9. मीरा पुत्री मल्लाराम
10. लाली पुत्री मल्लाराम
11. विक्रम पुत्र स्व0 सत्यनारायण
12. गीता पत्नी स्व0 सत्यनारायण
13 सीता पुत्री स्व0 सत्यनारायण
14 सुनीता पुत्री स्व0 सत्यनारायण

समस्त जाति गुर्जर नि0 ढाणी बिशनसागर वार्ड 25 शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

15 उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।

16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा। प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटी एक्ट 1955

आदेश दिनांक 27-01-2020

दावा वादी का संक्षेप में निम्न प्रकार है कि आ.ख.नं. 2215/0.33, 2222/032, 2223/0.17, 2279/0.51, 2285/0.03 है0 कुल किता 05 रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी में 1/7 हिस्सा वादी का व प्रतिवादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 2/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 5 लगा0 10 के बुजुर्ग मल्लाराम का 1/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है खातेदार मल्लाराम का निधन हो चुका है। प्रतिवादी सं. 5 मल्लाराम का पुत्र व प्रतिवादी सं. 9, 10 मल्लाराम की पुत्रियां है। खातेदार मल्लाराम के पुत्र सीताराम का निधन हो चुका है जिसके प्रतिवादी सं. 6 लगा0 8 वारिसान है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 5 लगा0 10 मल्लाराम के नाम दर्ज भूमि के खातेदार काश्तकार है। आ.ख.नं. 2231/0.34 है0 वाके ग्राम शाहपुरा जयपुर में स्थित है, जिसमें वादी का 5/42 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 लगा0 3 का हिस्सा 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 4 का 2/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 5 लगा0 10 के बुजुर्ग मल्लाराम का 1/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खातेदार मल्लाराम का निधन होने से प्रतिवादी सं. 5 लगा0 10 उसके हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादी सं. 6 लगा0 8 सीताराम के वारिसान है, प्रतिवादी सं. 11 लगा0 14 के बुजुर्ग सत्यनारायण पुत्र किशनाराम के नाम 1/42 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सत्यनारायण का निधन हो जाने से उसके हिस्से की भूमि के प्रतिवादी सं. 11 लगा0 14 खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त भूमि वादी/प्रतिवादी की सामलाती भूमि है। जिस पर वादी/प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से अनुसार शामिल में रहकर काश्त कर रहे है। ख.नं. 2231 में वादी का का रिहायशी पुख्ता मकान बना रखा है। ख.नं. 2279 में प्रतिवादी 3, 4 प मल्लाराम के वारिसान ने अपना–अपना पुख्ता मकान बना रखा है। ख. नं. 2215 में प्रतिवादी सं. 2 ने दो मकान बना रखे है व प्रतिवादी सं. 4 ने दो मकान बना रखे है। प्रतिवादी सं. 1 ने ख.नं. 2215 में एक मकान की जगह में चारों तरफा डण्डा लगाकर एक दुकान व पशुओं का बांधने का नोहरा बना रखा है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उक्त आराजी का पूर्व में न तो कोई बाहमी बंटवारा हुआ है, ना ही विधिक बंटवारा हुआ है। इस प्रकार प्रत्येक रकबे पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जावेगा। प्रतिवादी सं. 1 लगा0 14 उक्त उक्त सम्पत्ति पर कब्जा कर वादी को बेदखल करना चाहते है। विशिष्ट भू-भाग को दीगर व्यक्ति को बेचान करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण वादी के उक्त हिस्से की भूमि की काश्त करने में मजाहमत पैदा करने लग गये है। वादी के हिस्से की भूमि का जबरन ताकत के बल पर हड़प लेना चाहते है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। अभी जुलाई माह में प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजीयात भूमि पर नाप-जोख कर रहे थे तो वादी के द्वारा मना करने पर भड़क गये तथा कहे कि उक्त भूमि को अन्य दीगर व्यक्ति को बेचकर कब्जा करवोयेंगे तथा तुझे जबरन कब्जा ताकत के बल पर बेदखल करके तेरी भूमि पर कब्जा करेंगें। इसलिए वादी को उक्त वादपत्र बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि उक्त आराजीयात का विधिक बंटवारा कराया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ताकि वे वादी के हिस्से में रास्ता नहीं निकाले व किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें।

अतः दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी बाद तामील उपस्थित नही। प्रतिवादी सं. 4 उपस्थित हुआ। वादी व प्रतिवादी सं. 4 ने उपस्थित होकर प्रकरण को दिनांक 21.10.2019 को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। दिनांक 21.10.2019 को प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया गया। दिनांक 23.12.2019 को तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 17.01.2020 को वकील वादी व प्रतिवादी सं. 4 ने बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार वकील वादी व प्रतिवादी सं. 4 को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः दावा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। आ.ख.नं. 2215/0.33, 2222/032, 2223/0.17, 2279/0.51, 2285/0.03 है0 कुल किता 05 रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम शाहपुरा तथा आ.ख.नं. 2231/0.34 है0 वाके ग्राम शाहपुरा के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है-

1. आ.ख.नं. 2222/2 रकबा 0.21, 2279/2 रकबा 0.0450, 2279/4 रकबा 0.1850 है0 कुल किता 03 रकबा 0.4400 है0 भूमि रामसहाय पुत्र सुन्डिया कौम गुर्जर सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।
2. आ.ख.नं. 2231/2 रकबा 0.22 है0 भूमि कजोड़मल पुत्र गोविन्दराम हि0 140 /220 सत्यनारायण पुत्र किशनाराम हि0 80/220 कौम गुर्जर सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।
3. आ.ख.नं. 2223 रकबा 0.17, 2215 रकबा 0.33, 2279/3 रकबा 0.05, 2222/1 रकबा 0.11 व 2279/5 रकबा 0.22 है0 कुल किता 05 रकबा 0.88 है0 भूमि मल्लाराम ग्यारसीलाल कालूराम रामनारायण पिता सुन्डिया कौम गुर्जर सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।
4. आ.ख.नं. 2285 रकबा 0.03, 2231/1 रकबा 0.12, 2279/1 रकबा 0.01 है0 कुल किता 03 रकबा 0.16 है0 भूमि मल्लाराम ग्यारसीलाल कालूराम रामनारायण पिता सुन्डिया हि0 4/7, रामसहाय पुत्र सुन्डिया हि0 2/7, कजोड़मल पुत्र गोविन्दराम हि0 1/7 कौम गुर्जर सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2020 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद संख्या :– 46/2019

उनवान

कजोड़मल पुत्र गोविन्दराम गुर्जर नि0 ढाणी बिशनसागर वार्ड 25 शाहपुरा तह0 शाहपुरा ।

वादी

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र स्व0 सुण्डिया
2. कालूराम पुत्र स्व0 सुण्डिया
3. रामनारायण पुत्र स्व0 सुण्डिया
4. रामसहाय पुत्र स्व0 सुण्डिया
5. मदनलाल पुत्र स्व0 मल्लाराम
6. परमानन्द पुत्र स्व0 सीताराम
7. कमली पत्नी सीताराम
8. रोशन पुत्री सीताराम
9. मीरा पुत्री मल्लाराम
10. लाली पुत्री मल्लाराम
11. विक्रम पुत्र स्व0 सत्यनारायण
12. गीता पत्नी स्व0 सत्यनारायण
13 सीता पुत्री स्व0 सत्यनारायण
14 सुनीता पुत्री स्व0 सत्यनारायण

समस्त जाति गुर्जर नि0 ढाणी बिशनसागर वार्ड 25 शाहपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

15 उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।

16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटी एक्ट 1955

अतः दावा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। आ.ख.नं. 2215/0.33, 2222/032, 2223/0.17, 2279/0.51, 2285/0.03 है0 कुल किता 05 रकबा 1.36 है0 वाके ग्राम शाहपुरा तथा आ.ख.नं. 2231/0.34 है0 वाके ग्राम शाहपुरा के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

1. आ.ख.नं. 2222/2 रकबा 0.21, 2279/2 रकबा 0.0450, 2279/4 रकबा 0.1850 है0 कुल किता 03 रकबा 0.4400 है0 भूमि रामसहाय पुत्र सुन्डिया कौम गुर्जर सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।

2. आ.ख.नं. 2231/2 रकबा 0.22 है0 भूमि कजोड़मल पुत्र गोविन्दराम हि0 140 /220 सत्यनारायण पुत्र किशनाराम हि0 80/220 कौम गुर्जर सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।

3. आ.ख.नं. 2223 रकबा 0.17, 2215 रकबा 0.33, 2279/3 रकबा 0.05, 2222/1 रकबा 0.11 व 2279/5 रकबा 0.22 है0 कुल किता 05 रकबा 0.88 है0 भूमि मल्लाराम ग्यारसीलाल कालूराम रामनारायण पिता सुन्डिया कौम गुर्जर सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।

4. आ.ख.नं. 2285 रकबा 0.03, 2231/1 रकबा 0.12, 2279/1 रकबा 0.01 है0 कुल किता 03 रकबा 0.16 है0 भूमि मल्लाराम ग्यारसीलाल कालूराम रामनारायण पिता सुन्डिया हि0 4/7, रामसहाय पुत्र सुन्डिया हि0 2/7, कजोड़मल पुत्र गोविन्दराम हि0 1/7 कौम गुर्जर सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 27-01-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ...... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	